कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0 2016–विज्ञप्ति / 64-65 / 2017-18 दिनांक 21 जून 2017।

:: डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 के परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना::

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2017 को आयोजित डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 का परिणाम (चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र / उत्तर–पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार कर घोषित किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों के नाम इन सूचियों में अंकित हैं वे यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ओ0एम0आर0 अवेदन–पत्र / उत्तर–पत्रक में **त्रुटिपूर्ण / गलत तथ्य अंकित करने के कारण उसका नाम चयन अथवा प्रतीक्षा सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय होगी।** प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर काउँसिलिंग का आयोजन किया जाएगा, इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा यथा समय सूचना दी जाएगी।

चयनि अभ्यर्थियों की सूची एवं विस्तृत दिशा–निर्देश परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

भवदीय

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर नैनीताल।

पृ0सं0 : उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0 / /2017–18 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभापति, उ0वि0शि0प0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रा0शि0 / नियंत्रक अधिकारी डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2016 उत्तराखण्ड, देहरादून।

21-6-17

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर नैनीताल।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

:: डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 ::

दिनांक 15 अप्रैल 2017 को आयोजित डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 का परिणाम (चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 अवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से तैयार कर घोषित किया जा रहा है। चयन सूची नितांत औपबंधिक है। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में अंकित हैं वे यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ओ0एम0आर0 अवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में **त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य अंकित करने के कारण उसका नाम चयन सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय होगी।**

प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउॅसिलिंग का आयोजन किया जाएगा। **काउॅसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा यथा समय सूचना दी जाएगी।** कॉउसिलिंग **में प्रतिभाग करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि–**

1. जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 19 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उच्च आयु सीमा में छूट) से अधिक न हो।
2. उत्तराखण्ड राज्य के **मूल/स्थाई निवासी हों।**
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (27 अक्टूबर 2016) से पूर्व **स्नातक योग्यता प्राप्त कर ली हो।**
4. आवेदन की अंतिम तिथि (30 नवंबर 2016) तक **सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण हो** (सेवारत अभ्यर्थियों के मामले में अनापत्ति प्रमाण–पत्र)।
5. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **जाति प्रमाण–पत्र** हो।
6. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में–
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो, जिनसे उनके **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित** होने की पुष्टि हो सके।
   - विकलांगता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास **विकलांगता का** सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो।
   - भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति संबंधी अभिलेख (कमांडिग आफॅसिर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हों जिनसे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित करलें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हों। विज्ञ हों कि **इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है उनके आश्रितों को नहीं।**

काउॅसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में संम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी।

21-6-17

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर नैनीताल।